

सं. जी-25011/1/2007-प्रशासन (एनबीओ)  
भारत सरकार  
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय  
(राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन)

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक 12 मई, 2014

सेवा में,  
वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)  
शहरी विकास मंत्रालय,  
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषय:-राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के वास्ते एचआर और मूल्यांकन के लिए शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) योजना के तहत राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) को 17,07,00,000/- (सत्रह करोड़ सात लाख रुपए) का अनुदान।

महोदय,

मुझे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) को एचआर और मूल्यांकन के लिए वर्ष 2014-15 हेतु शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) योजना के तहत आवास और भवन निर्माण संबंधी आंकड़ों के संचयन, परितुलन, संग्रहण और प्रसार संबंधी कार्यों हेतु 17,07,00,000/- (सत्रह करोड़ सात लाख रुपए) के अनुदान विमोचन के अनुमोदन के बारे में बताने का निर्देश दिया गया है जो अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत है और आरएवाई के तहत क्षमता निर्माण कार्यों के जरिए निधि सहायता है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्तकर्ता का पदनाम और पता	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	विशेष मुख्य सचिव (योजना) आंध्र प्रदेश सरकार, कमरा नंबर 506, 5 <sup>वीं</sup> मंजिल, एल ब्लॉक, ए.पी.	134.00

		सचिवालय, हैदराबाद-500022	
2	अरुणाचल प्रदेश	सचिव (नियोजन विभाग), अरुणाचल प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, ईटानगर-791111	15.00
3	असम	अपर मुख्य सचिव (योजना), असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी-781006	17.00
4	बिहार	सचिव (योजना एवं विकास), बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-800015	59.00
5	छत्तीसगढ़	अपर मुख्य सचिव (वित्त, योजना एवं वाणिज्यिक कर), कमरा नंबर 3, चौथी मंजिल, सचिवालय ब्लॉक, महानदी भवन, मंत्रालय, न्यू रायपुर-492001	41.00
6	गुजरात	प्रधान सचिव (योजना), सामान्य प्रशासन विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक नंबर 7, चौथी मंजिल, न्यू सचिवालय कॉम्प्लेक्स, गांधीनगर-382010	107.00
7	हरियाणा	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त एवं योजना विभाग, कमरा नं. 47, 9 <sup>वीं</sup> मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़	58.00
8	हिमाचल प्रदेश	विशेष सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002	15.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	प्रमुख सचिव (योजना एवं विकास विभाग) जम्मू-कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, श्रीनगर-190001	24.00
10	कर्नाटक	प्रमुख सचिव (योजना एवं सांख्यिकी), कर्नाटक सरकार, कमरा नं. 305, तीसरी मंजिल, चौथा द्वार, एम.एस. बिल्डिंग, विधान सभा, बंगलौर-560001	92.00

11	केरल	प्रधान सचिव (योजना), केरल सरकार, सचिवालय, त्रिवेंद्रम-695001	39.00
12	मध्य प्रदेश	सचिव (योजना), मध्य प्रदेश सरकार, बल्लभ भवन, भोपाल-462003	95.00
13	महाराष्ट्र	प्रमुख सचिव (योजना एवं विकास विभाग), महाराष्ट्र सरकार, कमरा नं. 622, छठीं मंजिल, मंत्रालय, मुंबई- 400032	240.00
14	मणिपुर	प्रमुख सचिव (योजना) मणिपुर सरकार, सचिवालय, इम्फाल-795001	15.00
15	मेघालय	सचिव (योजना) मेघालय सरकार कमरा नं. 215 मुख्य सचिवालय, बिल्डिंग, शिलांग-793001	15.00
16	मिजोरम	आयुक्त और सचिव (योजना) मिजोरम सरकार, ब्लॉक-सी, कमरा नं. 216, दूसरी मंजिल, सिविल सचिवालय, आईजोल-796001	15.00
17	नागालैंड	विकास आयुक्त योजना विभाग नागालैंड सरकार सचिवालय कोहिमा 797001	15.00
18	उड़ीसा	विकास आयुक्त एवं अपर सचिव उड़ीसा सचिवालय भुवनेश्वर - 751001	36.00
19	पंजाब	प्रमुख सचिव (योजना), पंजाब सरकार, कमरा नं. 8, 8वीं मंजिल	56.00
20	राजस्थान	सचिव (योजना), कमरा नं. 4014, मुख्य भवन, सचिवालय, जयपुर- 302005	97.00

21	तमिलनाडु	सचिव (योजना एवं विकास), तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, चेन्नई: 600009	102.00
22	त्रिपुरा	प्रमुख सचिव योजना एवं समन्वय नए सचिवालय परिसर सिविल सचिवालय, त्रिपुरा सरकार अगरतला - 799001	15.00
23	उत्तर प्रदेश	प्रमुख सचिव, योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, कमरा नं. 209, दूसरी मंजिल योजना भवन, सरोजिनी नायडु रोड लखनऊ-226001	224.00
24	उत्तरांचल	प्रमुख सचिव (योजना), उत्तरांचल सरकार, सचिवालय, 4, सुभाष रोड, देहरादून	22.00
25	पश्चिम बंगाल	अपर मुख्य सचिव योजना विभाग संयुक्त अपर भवन ब्लॉक एचसी-7, सेक्टर 3 साल्ट लैक कोलकाता- 700106	154.00
26	पुडुचेरी	विकास आयुक्त एवं नियोजन सचिव बीच रोड पुडुचेरी - 600015	5.00
		<b>कुल (करोड़ में)</b>	<b>17.07</b>

2. उपरोक्त विमोचन निम्नलिखित शर्तों के तहत है:-

क. उपरोक्त राशि को शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) योजना के तहत आवास और भवन निर्माण संबंधी आंकड़ों के संचयन, परितुलन, संग्रहण और प्रसार संबंधी कार्यों हेतु जारी किया गया है जो अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत है और आरएवाय के तहत क्षमता निर्माण कार्यों के जरिए यह कोष सहायता है।

ख. कार्यान्वयन एजेंसी अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग केवल और केवल उसी उद्देश्य से किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।

ग. जीएफआर के प्रावधानों के तहत डीईएस को उन्हें जारी की गई राशि के अप्रयुक्त अंश वापस करने होंगे।

घ. डीईएस द्वारा एनबीओ को उपयोग प्रमाणपत्र भेजना होगा जो जीएफआर के प्रावधानों के तहत डीईएस के नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा।

ङ. स्वीकृत राशि का लेखापरीक्षण कराया जाएगा।

च. अगली विमुक्त राशि डीईएस द्वारा पिछले तिमाही आवास और भवन निर्माण के एकत्र और प्रेषित (ऑनलाइन) आवश्यक आंकड़े के आधार पर होगी।

3. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के डिमांड संख्या 058 के तहत खाते के निम्नलिखित शीर्ष के तहत रखा जाएगा।

मुख्य शीर्ष '2217'- आवास

गौण शीर्ष: 05

उप-मुख्य शीर्ष: 191

उद्देश्य (ऑब्जेक्ट) शीर्ष: 07.04.31- वर्ष 2014-2015 के लिए सहायता अनुदान (योजना)

4. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के ओएम संख्या एफ-11(45/76/एससी, दिनांक 22.02.1997) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राशि को राज्य सरकार के आरबीआई

खाते में डाला जाएगा।

5. इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की स्वीकृति के साथ स्वीकृत राशि निर्गत की जाएगी, देखें डीवाई. संख्या 210/यूएस (आईएफडी)/एफडी/14, दिनांक 07.05.2014।
6. स्वीकृति को एनबीओ, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, वर्ष 2014-15 के स्वीकृति रजिस्टर के क्रमांक 1 में दर्ज किया गया है।
7. प्रमाणित किया जाता है कि इस परियोजना का कोई भी आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र लंबित नहीं है।

भवदीय,



(V/ Ethirai)


(वी. इतिराज)

उप निदेशक

फोन: 23063094

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव (योजना)
2. सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) के निदेशक
3. सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महालेखाकार।
4. लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
5. सचिव (एचयूपीए) के पीएसओ/संयुक्त सचिव (जेएनएनयूआरएम एवं आरएवाई) के निजी सचिव/निदेशक (एनबीओ) तथा ओएसडी (जेएनएनयूआरएम एवं आरएवाई) के निजी सचिव/वित्त प्रभाग/बजट प्रभाग
6. गार्ड फाइल/स्वीकृति फोल्डर



(V/ Ethirai)

(वी. इतिराज)

उप निदेशक

फोन: 23063094

नोट: स्वीकृति आदेश [www.nbo.nic.in](http://www.nbo.nic.in) से इस स्वीकृति आदेश को राज्य/डीईएस डाउनलोड

कर सकते हैं